

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 मई 2023 — वैशाख 21, शक 1945

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ फॉर्मसी (एम. फार्मसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम “छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ फॉर्मसी (एम. फार्मसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023” कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें —इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) ‘छत्तीसगढ़’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) ‘पीसीआई’ से अभिप्रेत है, फार्मसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (3) ‘संचालक’ से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।
- (4) ‘अभ्यर्थी’ से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (5) ‘अल्पसंख्यक संस्था’ से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (6) ‘निजी संस्था’ से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

- (7) 'जी.पी.ए.टी.' से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा एम.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट फार्मसी एप्टीट्यूट टेस्ट।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।
3. **प्रवेश हेतु आरक्षण** — एम.फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।
4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता**— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मसी में चार वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।
5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा** —
- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
6. **प्रावीण्यता सूची**—
- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्रावीण्यता सूची जी.पी.ए.टी. में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
7. **काउंसिलिंग**— सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।
8. **सीट आबंटन का क्रम** — एम. फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश**—
- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— पीसीआई/संचालक द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. **संशोधन**—छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति** – इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.—The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Pharmacy (M. Pharmacy) Program of the institutions of Chhattisgarh, namely:—

1. Short title and extent.—

- (1) These rules may be called “Admission Rules for Master of Pharmacy (M.Pharmacy) Program for institutions of Chhattisgarh, 2023”.
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) ‘Chhattisgarh’ means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01.11.2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) ‘PCI’ means the Pharmacy Council of India, New Delhi;
- (3) ‘Director’ means the Director, Technical Education, Chhattisgarh, Atal Nagar, Raipur;
- (4) ‘Candidate’ means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (5) ‘Minority Institution’ means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
- (6) ‘Private Institution’ means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (7) ‘G.P.A.T.’ means the Graduate Pharmacy Aptitude Test, an all-India level entrance examination conducted by the National Testing Agency, New Delhi for the purpose of determining the merit list for admission to the M. Pharmacy program;
- (8) ‘Counselling Committee’ means the committee, formed by the State Government for conducting counselling work for admission in various programs and to take decision on admission-related issues.

3. Reservation for Admission. - The reservations for admission to the M. Pharmacy program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh, as per the law at the time of admission to this program.

4. Educational Qualification for Admission- Passed Four-year Bachelor's Degree in Pharmacy from a recognized University/Institution or equivalent degree with at least 55 percent marks for unreserved category candidates and 50 percent marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh.

5. Management and Minority quota in seats for admission. -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.

- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions, which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.
- 6. Merit Lists. -**
- (1) Under these rules the merit list shall be prepared in the descending order of the percentage of marks obtained in G.P.A.T.
- (2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.
- 7. Counselling. -** Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counseling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.
- 8. Order of seat allotment. -** Allotment of seats for admission to the M. Pharmacy program shall be done first according to the merit list of Rule 6, to the candidates, who are domicile of Chhattisgarh, and even thereafter if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Rule 6.
- 9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-**
- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be procedural. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
- 10. Last date of admission- The date fixed for admission by PCI/Director shall be considered as the last date.**
- 11. Cancellation of Admission. -** If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/ incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
- 12. Removal of Difficulties. -** In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.
- 13. Amendment. -** State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/ procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
- 14. Interpretation. -** If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
- 15. Repeal and Savings. -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम “छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम-2023” कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें —इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) ‘छत्तीसगढ़’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) ‘अभातशिप’ से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (3) ‘अभ्यर्थी’ से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (4) ‘अल्पसंख्यक संस्था’ से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (5) ‘निजी संस्था’ से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (6) ‘सी.एम.ए.टी.’ से अभिप्रेत है, नशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट।
- (7) ‘एम.ए.टी.’ से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, मैनेजमेंट एपीट्यूट टेस्ट।
- (8) ‘सी.ए.टी.’ से अभिप्रेत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, कॉमन एडमिशन टेस्ट।
- (9) ‘एक्स.ए.टी.’ से अभिप्रेत है, जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, जेवियर एपीट्यूट टेस्ट।
- (10) ‘काउंसिलिंग समिति’ से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण— एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी मान्यता प्राप्त संकाय/विषय में अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ कम से कम तीन वर्षीय स्नातक अथवा पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण।

5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा —

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. प्रावीण्यता सूचियाँ—

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी —

- (क) सी.एम.ए.टी. प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची सी.एम.ए.टी. में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (ख) एम.ए.टी./सी.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए. प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची एम.ए.टी./सी.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए. प्रवेश परीक्षाओं को समतुल्य मानते हुये इनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
7. **काउंसिलिंग**— सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।
8. **सीट आबंटन का क्रम**—
- (1) एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
- (2) उप नियम (1) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश**—
- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों का छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. **संशोधन**— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. **निरसन एवं व्यावृत्ति**— इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।
- परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Business Administration (M.B.A.) program, namely:

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called “Admission Rules for Master of Business Administration (M.B.A.) Program for the Institutions of Chhattisgarh, 2023”.
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) ‘Chhattisgarh’ means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) ‘AICTE’ means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (3) ‘Candidate’ means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (4) ‘Minority Institution’ means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
- (5) ‘Private Institution’ means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (6) ‘C.M.A.T.’ means the Common Management Admission Test, All India Level Entrance Examination conducted by the National Testing Agency, New Delhi for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;
- (7) ‘M.A.T.’ means the Management Aptitude Test, All India Level Entrance Examination, conducted by the All India Management Association for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;
- (8) ‘C.A.T.’ means the Common Admission Test, All India level Entrance Examination conducted by the Indian Institute of Management for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;
- (9) ‘X.A.T.’ means Xavier Aptitude Test, All India level Entrance Examination conducted by Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;
- (10) ‘Counselling Committee’ means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decision on admission-related issues.

3. Reservations for Admission. - The reservations for admission to the M.B.A. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.

4. Educational Qualification for Admission. - Passed three years degree program or five years integrated degree program in any recognized faculty/ subject from a recognized University/ Institution with 50 percent marks for unreserved category candidates, and 45 percent marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disability of Chhattisgarh.

5. Management and Minority quota in seats for admission. -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
 - (a) C.M.A.T.Merit List - This merit list shall be prepared in the descending order of the percentage of marks obtained in C.M.A.T.
 - (b) M.A.T./C.A.T./X.A.T./A.T.M.A. Meritlist – Considering these entrance examinations as equivalent, this merit list shall be prepared in descending order of percentage of marks scored in M.A.T./ C.A.T./ X.A.T./ A.T.M.A.
- (2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. Counselling.- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment.-

- (1) Allotment of seats for admission to the M.B.A. program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6 and even after that if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (2) After allotting the seats as per Sub-Rule (1), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even thereafter if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission.- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. Amendment.- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023" कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें —इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (4) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (5) 'जी.ए.टी.ई.' से अभिप्रेत है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग।
- (6) 'प्रायोजित अभ्यर्थी' से अभिप्रेत, उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्य शासन/केन्द्र शासन/किसी पंजीकृत कम्पनी/संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम दो वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दी गयी हो।
- (7) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण —एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ई./बी.टेक.) अथवा समुचित विषय में समकक्ष उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। समुचित एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा एवं समुचित विषय अभातशिप के अनुसार होगी।

5. प्रवेश हेतु सीटों में प्रायोजित कोटा— प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटे रहेगी। प्रायोजित कोटा के अंतर्गत केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। इस कोटे में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

6. प्रावीण्यता सूचियाँ—

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी —

(क) जी.ए.टी.ई. प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची जी.ए.टी.ई. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(ख) अर्हकारी परीक्षा प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में संस्था स्तर पर बनाई जायेगी।

- (2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
7. **काउंसिलिंग**— सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।
8. **सीट आबंटन का क्रम** — एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश—**
- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. **संशोधन**— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. **निरसन एवं व्यावृत्ति**— इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।
- परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Technology (M. Tech.) Program of the institutions of Chhattisgarh, namely:—

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called “Admission Rules for Master of Technology (M.Tech.) Program for institutions of Chhattisgarh, 2023”.
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:
- (1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
 - (2) 'AICTE' means the All-India Council for Technical Education, New Delhi;
 - (3) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
 - (4) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
 - (5) 'G.A.T.E' means Graduate Aptitude Test in Engineering, National Level common entrance test conducted by Indian Institutes of Technology (IITs) for the purpose of determining merit list for admission to M. Tech. program
 - (6) 'Sponsored Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules; and is employed as full time or on contract basis for a minimum period of two years in State Government/ Central Government/Registered Company/Institution and who is permitted by such employer/authorized competent officer for taking admission and studying in this full-time course;
 - (7) 'Counselling Committee' means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission in various programs and to take decisions on admission-related issues.
- 3. Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the M. Tech. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh, as per the law at the time of admission to this program.
- 4. Educational Qualification for Admission.** - Passed Four-year Bachelor's Degree (B.E./B.Tech.) in the relevant branch of engineering from a recognized University/ Institution or equivalent degree with at least 50 percent marks for unreserved category candidates and 45 percent marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Relevant/appropriate degree level program for the purpose of admission in M.Tech. program shall be as per the AICTE.
- 5. Sponsored Quota in seats for admission.** - There shall be 25 percent seats for sponsored candidates. Only sponsored candidates shall take admission under sponsored quota. Entrance examination is not required for admission under this quota.
- 6. Merit Lists.** -
- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
 - (a) G.A.T.E. Merit List - This merit list shall be prepared in the descending order of the percentage of marks obtained in G.A.T.E.
 - (b) Qualifying Examination Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of percentage of total marks of the final year of the qualifying examination.
 - (2) Among the candidates obtaining the same percent of marks, the candidates older in age shall be placed higher in the merit list.
- 7. Counselling.** - Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counseling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.
- 8. Order of seat allotment.** - The allotment of seats for admission to the M.Tech. program shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the state of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- 9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.** -
- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
10. **Last date of Admission.** - The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.
11. **Cancellation of Admission.** -If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/ incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
12. **Removal of Difficulties.** - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.
13. **Amendment.** - State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/ procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
14. **Interpretation.** - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
15. **Repeal and Savings.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम “छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023” कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें— इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) ‘छत्तीसगढ़’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन को अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) ‘अभातशिप’ से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (3) ‘अभ्यर्थी’ से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (4) ‘अल्पसंख्यक संस्था’ से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (5) ‘निजी संस्था’ से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

- (6) 'पीपीटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट।
- (7) 'डिप्लोमा इंजीनियरिंग' से अभिप्रेत है, इंजीनियरिंग में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रम।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।
- (9) माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर, दंतेवाड़ा जिले, एवं गैर माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है माओवाद प्रभावित जिलों को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण**— डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण क प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता**—

- (1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग तथा डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) डिप्लोमा मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एवं कटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
- (4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा अभातशिप द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण एवं 2 वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र (NCVT/SCVT) से जारी द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा** —

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूचियाँ**—

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी —
 - (क) पीपीटी प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची पीपीटी में प्राप्तांकों के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ख) कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर एवं दंतेवाड़ा जिलों के अभ्यर्थियों के लिये कक्षा 10वीं में गणित एवं विज्ञान विषय के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ग) कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 10वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (घ) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 12वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ङ) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, जो अभ्यर्थी आई टी आई के आधार पर प्रवेश चाहते हैं, उनके आई टी आई के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं जो अथ्यर्थी कक्षा 12वीं के आधार पर प्रवेश चाहते हैं उनके कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों का प्रतिशत घटते क्रम में रखकर बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तांक, प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(3) मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

(अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु—

(क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, एवं इन जिलों के अभ्यर्थी शेष न रह जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) अनुसार आबंटन के बाद यदि इन जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ब) गैर-माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ड) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ड) की प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश –

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. प्रवेश की अंतिम तिथि— अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. प्रवेश रद्द करना— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. कठिनाईयों का निराकरण— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. संशोधन— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश क किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. निर्वचन— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति— इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission to Diploma Programs for Polytechnic institutions of Chhattisgarh, namely:

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called “Admission Rules for Diploma Programs for Polytechnic Institutions of Chhattisgarh, 2023”.
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) “Chhattisgarh” means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) “AICTE” means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (3) “Candidate” means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (4) “Minority Institution” means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
- (5) “Private Institution” means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (6) “PPT” means the Pre Polytechnic Test, State Level Common Entrance Test, conducted by the Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar for the purpose of determining the merit list for admission to the Diploma Engineering programs;
- (7) “Diploma Engineering” means all diploma level technical programs in Engineering approved by All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (8) “Counselling Committee” means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues;
- (9) “Left Wing Extremism (LWE) affected districts” means Surguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujanj, Kondagaon, Surajpur, Dantewada districts, and Non-Left Wing Extremism affected districts means other districts of Chhattisgarh State excluding Left Wing Extremism (LWE) affected districts.

3. Reservations for Admission. - The reservations for admission to the diploma programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to these programs.

4. Educational Qualification for Admission. -

- (1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs: Passed 10th class examination with Mathematics and Science as subjects from recognized board under (10+2) education system.

- (2) For admission to Diploma in Costume Design and Dress Making and Diploma in Interior Decoration programs - Passed class 10th examination from recognized board under (10+2) education system.
- (3) For admission to Diploma in Modern Office Management and Diploma in Hotel Management and Catering Technology programs - Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system.
- (4) For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) - Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system with subjects prescribed by AICTE.

Or

For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) Passed class 10th examination from recognized board under (10+2) education system and passed 2 years I.T.I. Certificate (issued from NCVT/SCVT) Examination.

5. Management and Minority quota in seats for admission. -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
 - (a) PPT Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of marks obtained in PPT.
 - (b) Class 10th (Mathematics and Science subject) Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in Mathematics and Science subject of class 10th for the candidates of Sarguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujganj, Kondagaon, Surajpur and Dantewada districts.
 - (c) Class 10th Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 10th examination.
 - (d) Class 12th Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 12th examination.
 - (e) Lateral Entry Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of I.T.I. marks of the candidates who want to get admission on the basis of I.T.I., and on the basis of percentage of marks of class 12th examination of the candidates who want to get admission on the basis of class 12th.
- (2) Among the candidates who obtain the same marks, percentage, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. Counselling.- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment. –

- (1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs-
 - (A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –
 - (a) Allotment of seats in Polytechnic Institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
 - (b) After the allotment as per Clause (a), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, allotment of the remaining seats shall be done to the candidates domiciles of the districts who are

listed in the class 10th(Mathematics and Science subjects) Merit List given in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (c) After allotment as per Clause (a) and Clause (b), if the seats of Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts are left vacant, the allotment of the remaining seats shall be done first to the candidates domicile of the divisions related to these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6 and even after this, if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of the division related to these districts who are listed in the Class 10th (Mathematics and Science subjects) Merit List given in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (d) After allotment as per Clauses (a), (b) and (c), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of Chhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6. Even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (B) For Polytechnic institutions situated in Non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (2) For admission to Costume Design and Dress Making and Interior Decoration programs –

- (A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

- (a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.
- (b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6 and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (B) For Polytechnic Institutions situated in Non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if the seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (3) For admission to Modern Office Management and Hotel Management and Catering Technology programs –

- (A) For Polytechnic institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

- (a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and

if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.

- (b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6 and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (B) For Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts

Allotment of seats in polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (4) For admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs.-

Allotment of seats for admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in the Merit list of Clause (e) of Sub-Rule(1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the Merit List of Clause (e) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission.- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counseling committee shall be final.

13. Amendment.- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मसी (बी.फॉर्मसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मसी (डी.फॉर्मसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मसी (बी.फॉर्मसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मसी (डी.फॉर्मसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, 2023" कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) 'पीसीआई' से अभिप्रेत है, फार्मसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (3) 'संचालक' से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (5) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (6) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (7) 'पीपीएचटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा बी.फार्मसी एवं डी.फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य पवेश परीक्षा, प्री फार्मसी टेस्ट।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण— बैचलर ऑफ फॉर्मसी एवं डिप्लोमा फॉर्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—

- (1) चार वर्षीय बी.फार्मसी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। बी.फार्मसी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।
- (2) द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण।

तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

- (3) बैचलर आफ फॉर्मसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से फॉर्मसी में द्विवर्षीय फॉर्मसी डिप्लोमा उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा –

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
 (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. प्रावीण्यता सूचियाँ—

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी –
 (क) पीपीएचटी प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची पीपीएचटी में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 (ख) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 (ग) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची डिप्लोमा फॉर्मसी परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 (2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग**— सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. सीट आबंटन का क्रम—

- (1) बी. फॉर्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु— बी.फॉर्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 (2) डी. फॉर्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु –
 (अ) डी. फॉर्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 (3) बी. फॉर्मसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु— बी. फॉर्मसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश—

- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक हागा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— पीसीआई/संचालक द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. **संशोधन**— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. **निरसन एवं व्यावृत्ति** — इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs, namely:—

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called “Admission Rules for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs for Institutions of Chhattisgarh, 2023”.
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) ‘Chhattisgarh’ means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) ‘PCI’ means the Pharmacy Council of India, New Delhi;
- (3) ‘Director’ means the Director, Technical Education, Chhattisgarh, Nava Raipur, Atal Nagar;
- (4) ‘Candidate’ means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (5) ‘Minority Institution’ means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

- (6) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (7) 'PPHT' means the Pre-Pharmacy Test, the State Level Common Entrance Examination, conducted by Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar, for the purpose of determining the merit for admission to B.Pharmacy and D.Pharmacy programs;
- (8) 'Counselling Committee' means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues.

3. Reservations for Admission. - The reservations for admission to the Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.

4. Educational Qualification for Admission. -

- (1) For admission to the four-year B.Pharmacy degree program-passed the class 12th examination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/Biotechnology/Biology subjects as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board. For admission to B. Pharmacy, it is mandatory to have English as one of the subjects in class 12th.
- (2) For admission to two-year Diploma in Pharmacy program-passed the class 12th examination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/ Biotechnology/ Biology as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board.
- (3) For admission to Bachelor of Pharmacy (Lateral Entry Second Year)-passed two years Diploma in Pharmacy from a recognized Board/University/Institution with at least 45% marks for unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disability of Chhattisgarh.

5. Management and Minority quota in seats for admission. -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
- (a) PPHT Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of the percentage of marks scored in PPHT.
- (b) Class 12th Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of the percentage of aggregate marks in Physics, Chemistry and Mathematics/Biotechnology/Biology as compulsory three subjects in 12th examination.
- (c) Lateral Entry Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of total marks obtained in the final year of Diploma in Pharmacy examination.

(2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.-** Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.
8. **Order of seat allotment.-**
- (1) For admission to B.Pharmacy Program- Allotment of seats for admission to the B.Pharmacy program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (2) For admission to D. Pharmacy Program-
- (A) Allotment of seats for admission to the D. Pharmacy Program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (B) After allotment of the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if the seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (3) For admission to B. Pharmacy (Lateral Entry 2nd year) Program- Allotment of seats for admission to B. Pharmacy (Lateral Entry Second Year) program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
9. **Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-**
- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
10. **Last date of Admission.-** The date fixed by PCI/Director for admission shall be considered as the last date for admission.
11. **Cancellation of Admission.-** If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
12. **Removal of Difficulties. -** In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.
13. **Amendment.-** State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
14. **Interpretation. -** If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
15. **Repeal and Savings. -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-8/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम-2023" कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा—

- (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (6) 'प्री-एम.सी.ए.' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्रीमास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट।
- (7) 'निमसेट' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, एनआईटी एम.सी.ए. कॉमनइंट्रेन्स टेस्ट।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण—एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण क प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अहंता—(10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा में गणित विषय के साथ अथवा स्नातकस्तरपर गणित विषय के साथमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी.ई./बी.टक./बीएससी/बी.कॉम/बीए/बी.वोकेशनल/बी.सी.ए.संकाय/विषय में स्नातकउपाधि अनारक्षितवर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :-बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदिमान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे उच्च गणित मान्य किये जायेंगे।

5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा—

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. प्रावीण्यता सूचियाँ—

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्न लिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी—

- (क) प्री-एम.सी.ए.प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची प्री-एम.सी.ए.में प्राप्तियों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (ख) निमसेट प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची निमसेट में प्राप्तियों प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
7. **काउंसिलिंग-** सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैरवापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।
8. **सीट आबंटन का क्रम-**
- (1) एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
- (2) उप नियम (1) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश-**
- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि-**अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
11. **प्रवेश रद्द करना-** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. **कठिनाईयों का निराकरण-** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. **संशोधन-**छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
14. **निर्वचन-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. **निरसन एवं व्यावृत्ति -** इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Computer Application (M.C.A.) program, namely:

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called “Admission Rules for Master of Computer Application (M.C.A.) Program for Institutions of Chhattisgarh-2023”.
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) ‘Chhattisgarh’ means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) ‘AICTE’ means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (3) ‘Candidate’ means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (4) ‘Minority Institution’ means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
- (5) ‘Private Institution’ means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (6) ‘Pre-M.C.A.’ means the Pre-Master in Computer Application Test, the State Level Common Entrance Test, conducted by the Chhattisgarh Professional Examination Board, Atal Nagar, Raipur for the purpose of determining the merit list for admission to the M.C.A. program;
- (7) ‘NIMSET’ means the NIT M.C.A. Common Entrance Test, All India level entrance examination, conducted by National Institutes of Technology for the purpose of determining the merit list for admission to the M.C.A. program;
- (8) ‘Counselling Committee’ means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues.

3. Reservations for Admission. - The reservations for admission to the M.C.A. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.**4. Educational Qualification for Admission. -** Passed 12th Examination under (10+2) education system with Mathematics subject or Passed Bachelor’s degree with Mathematics subject at Graduation level in BE/B.Tech./B.Sc./B.Com/BA/B.Vocational/B.C.A Faculty/Subject from a recognized University/Institution with at least 50% marks for unreserved category and 45% marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Allied subjects related to Mathematics like:- Business Mathematics, Basic Mathematics etc. are not acceptable. However, higher subject of Mathematics like Higher Mathematics is acceptable.**5. Management and Minority quota in seats for admission. -**

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
 - (a) Pre-M.C.A. Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of the percentage of marks scored in Pre-M.C.A.

- (b) NIMSET Merit list – This merit list shall be prepared in descending order of percentage of marks scored in NIMSET.
- (2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.
7. **Counselling.**-Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.
8. **Order of seat allotment.**–
- (1) Allotment of seats for admission to the M.C.A. program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub Rule 1 of Rule 6 and even after that, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (2) After allotting the seats as per Sub-Rule (1), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even thereafter if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
9. **Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.**-
- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
10. **Last date of Admission.**- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.
11. **Cancellation of Admission.**-If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
12. **Removal of Difficulties.** - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.
13. **Amendment.**- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
14. **Interpretation.** - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
15. **Repeal and Savings.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम “छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023” कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें —इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) ‘छत्तीसगढ़’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) ‘अभातशिप’ से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (3) ‘अभ्यर्थी’ से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (4) ‘अल्पसंख्यक संस्था’ से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (5) ‘निजी संस्था’ से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (6) ‘पीईटी’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।
- (7) ‘जेईई (मेन)’ से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, ज्वाइंट इंटेन्स एक्जामिनेशन।
- (8) ‘काउंसिलिंग समिति’ से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण — बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के पावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—

- (1) बी.टेक. क प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा, अभातशिप द्वारा निर्धारित तीन मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

अथवा

बी.टेक. के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को डिप्लोमा वोकेशनल मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अभातशिप द्वारा निर्धारित उसी या संबद्ध विषय क्षेत्र में उत्तीर्ण।

- (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एस.सी. परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त 12 वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा –

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. प्रावीण्यता सूचियों–

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी –
 - (क) पीईटी प्रावीण्यता सूची – यह प्रावीण्यता सूची पीईटी में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ख) जेईई (मेन) प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची जेईई (मेन) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ग) डिप्लोमा प्रावीण्यता सूची – यह प्रावीण्यता सूची डिप्लोमा इंजीनियरिंग परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (घ) बी.एस.सी. प्रावीण्यता सूची – यह प्रावीण्यता सूची बी.एस.सी. परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. काउंसिलिंग– सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. सीट आबंटन का क्रम –

- (1) बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –
 - (अ) बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 - (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
- (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –
 - (अ) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 - (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश–

- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. **संशोधन**— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. **निरसन एवं व्यावृत्ति**— इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for the Bachelor of Technology (B.Tech.) program, namely:-

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called "Admission Rules for the Bachelor of Technology (B.Tech.) Program for the Institutions of Chhattisgarh, 2023".
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) 'AICTE' means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (3) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (4) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
- (5) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

- (6) 'PET' means the Pre-Engineering Test, State Level Common Entrance Examination, conducted by Chhattisgarh Professional Examination Board, Atal Nagar, Raipur for the purpose of determining the merit for admission to the B.Tech. Program;
- (7) 'JEE (Main)' means Joint Entrance Examination, All India level Common Entrance Examination, conducted by the National Testing Agency, New Delhi for the purpose of determining the merit for admission to the B.Tech. Program;
- (8) 'Counselling Committee' means the committee, formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decision on admission-related issues.

3. Reservations for Admission. - The reservations for admission to the B.Tech. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.

4. Educational Qualification for Admission. –

- (1) For admission to B.Tech. program- Passed 12th examination under (10+2) education system from the recognized board with at least 45% marks for unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability, in three main subjects prescribed by the AICTE. It is also mandatory to pass separately in all three main subjects (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board.

Or

For admission to B.Tech. program, the candidate should have passed Diploma Vocational from a recognized Board/University in the same or allied subject area prescribed by AICTE.

- (2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program- Passed Three-year Diploma/Two-year Diploma (Lateral Entry) Examination in any branch of Engineering and Technology from a recognized Board/University/Institute with at least 45% marks for unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability.

Or

Passed Bachelor of Science (B.Sc.) Examination from a recognized University/Institute, with at least 45% marks for the unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability. Apart from this, it is mandatory to pass in Mathematics in class 12th examination.

5. Management and Minority quota in seats for admission. -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions, which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
- (a) PET Merit List – This merit list shall be prepared in descending order of percentage of marks scored in PET.
- (b) JEE (Main) Merit List – This merit list shall be prepared in descending order of percentage of marks scored in JEE (Main).
- (c) Diploma Merit List – This merit list shall be prepared in descending order of percentage of total marks in the final year of Diploma in Engineering Examination.
- (d) B.Sc. Merit List- This merit list shall be prepared in descending order of percentage of total marks in the final year of B.Sc. examination.
- (2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. Counselling.- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment.–

(1) For admission to B.Tech. program–

(A) For admission to the B.Tech. program allotment of seats shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after this, if seats are left vacant their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(B) After allotting the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program

(A) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program, allotment of seats shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after this, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (d) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(B) After allotting the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if the seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (d) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission. - The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. Amendment.– State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made, or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.